छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in **Website:-https://rera.cgstate.gov.in/**

क्रमांक / 98 / रेरा / 2024 / 083 रायपुर, दिनाँक 05 / 01 / 2024

/ / परिपत्र / /

विषयः– **त्रैमासिक अद्यतन अवधि विस्तार किए जाने के संबंध में।**
संदर्भः– **प्राधिकरण का परिपत्र क्र. / 17 / रेरा / 2018 / 562, रायपुर दिनांक 28.09.2018**

––00––

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में प्रमोटर्स द्वारा नियमित त्रैमासिक अपडेशन किया जाना प्रावधानित है। प्राधिकरण ने भी संदर्भित परिपत्र क्रमांक–17 के माध्यम से उक्त संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं। उक्त परिपत्र में वर्णित त्रैमासिक अद्यतन अवधि के संबंध में संदर्भित आदेश के माध्यम से गठित संयुक्त समिति के बिना विलंब शुल्क के अद्यतन करने की अवधि को बढ़ाये जाने संबंधी सुझाव दिया है। अतः इस संबंध में संयुक्त समिति के सुझावों से सहमत होते हुए बिना विलंब शुल्क के अद्यतन करने की अवधि में वृद्धि करने हेतु अधिनियम की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक जानकारी अद्यतन करने हेतु अवधियाँ, वित्तीय वर्ष के अनुसार अर्थात् प्रथम त्रैमासिक अप्रैल से जून, द्वितीय त्रैमासिक जुलाई से सितम्बर, तृतीय त्रैमासिक अक्टूबर से दिसम्बर तथा चतुर्थ त्रैमासिक जनवरी से मार्च तक होंगी।

2. प्रमोटर्स को प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पश्चात् उसके आगामी दो माह के अंत तक, निम्न तालिकानुसार प्रत्येक प्रोजेक्ट की वांछित जानकारियाँ अद्यतन करना अनिवार्य होगा :–

प्रथम त्रैमासिक अद्यतन	अप्रैल – जून	अद्यतन की अंतिम तिथि – 31 अगस्त
द्वितीय त्रैमासिक अद्यतन	जुलाई – सितम्बर	अद्यतन की अंतिम तिथि – 30 नवम्बर
तृतीय त्रैमासिक अद्यतन	अक्टूबर – दिसम्बर	अद्यतन की अंतिम तिथि –28 / 29 फरवरी
चतुर्थ त्रैमासिक अद्यतन	जनवरी – मार्च	अद्यतन की अंतिम तिथि – 31 मई

इस प्रकार बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन करने की अवधि को विस्तारित करते हुए एक माह के स्थान पर दो माह किया गया है।

3. प्रमोटर्स को अपने लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड के माध्यम से छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट पर आवश्यक जानकारियाँ ऑनलाईन अद्यतन करना होगा।

4. ऑनलाईन अपडेशन से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान हेतु कार्यालयीन अवधि में श्री सूर्यकांत श्रीवास्तव, प्रोग्रामर(मो.नं.–8827805002) से संपर्क किया जा सकेगा।

5. पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक / 17 / रेरा / 2018 / 562, रायपुर दिनांक 28.09.2018 की अन्य सभी शर्ते यथावत प्रभावशील रहेगी।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा आदेशित)

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर